केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/358 दिनांक: 07.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00355
CICOM/R/2016/00902

अपीलकर्ता : श्री सरफराज अली खान नियाजी,
आलम रोड, चूड़ी पट्टी, वार्ड नं. 4,
किशनगंज – 855108,
बिहार ।

निर्णय की तारीख: 07.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	01.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. पी. बेक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	166923/23.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	506/29.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून, 2005 की धारा 19 (8) (ख) की व्याख्या का बिल्कुल सही रूप उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस.पी. बेक, नोडल अधिकारी, आर.टी.आई. सेल द्वारा प्रदान की गई सूचना कि *"सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत एक जन सूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचनाएं ही प्रदान कर सकता है, किसी जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना सही है या नहीं, या कोई व्याख्या करना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है"* से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया श्री एस.पी. बेक, नोडल अधिकारी, आर.टी.आई. सेल द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।